संख्या- एस-18011/24/2015-एसबीएम

भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

चौथा तल, पं दीनदयाल 'अंत्योदय भवन'
सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड
नई दिल्ली-110003
दिनांक: 17.10.2018

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
प्रभारी ग्रामीण स्वच्छता,
सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

विषय:- अकार्यशील शौचालयों को कार्यशील शौचालयों में रूपांरित करने के लिए स्वच्छ भारत कोष (एसबीके) और विश्व बैंक सहायता निधियों के उपयोग पर मार्गदर्शन।

महोदया/महोदय,

यह पत्र इस मंत्रालय के उपर्युक्त विषय पर दिनांक 02.08.2018 के समसंख्यक पत्र के अनुक्रम में है जिसमें यह कहा गया था कि एसबीके और विश्व बैंक सहायता निधियों का उपयोग अकार्यशील शौचालयों को कार्यशील शौचालयों में रूपांतरित करने के लिए 5000 रु. प्रति आईएचएचएल की सीमा तक किया जा सकता है।

2. तथापि, इस मंत्रालय के ध्यान में यह बात आई है कि कुछ राज्यों में, अकार्यशील शौचालयों के रूपांतरण हेतु वास्तविक निधि आवश्यकता 5000 रु. प्रति शौचालय से अधिक है। मंत्रालय में इस विषय पर पुन: विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि राज्य, अकार्यशील शौचालयों के रूपांतरण के लिए एसबीके और विश्व बैंक सहायता निधियों का उपयोग, एसबीएम(जी) के वर्तमान लागत मानदण्डों के अनुसार वास्तविक आवश्यकता के अनुसार, 12,000 रु. प्रति शौचालय की सीमा के शर्त के अधीन कर सकते हैं।

3. उपर्युक्त के मद्देनजर, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया जाता है कि वे इसे सभी जिला कार्यान्वयन प्राधिकारी के ध्यान में लाएं ताकि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

भवदीय

(अरूण बरोका)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
ईमेल:- arun.baroka@nic.in

प्रतिलिपि:- 1) मिशन निदेशक/राज्य समन्वयक, एसबीएम(जी), सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
2) टीडी एनआईसी को, वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु